मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल जी डमटाल, तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा, (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/2013 से 12/2014

भाग–एक

1 **प्रारम्भिक**

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23(2)ग(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा(ए)3–3/85–पार्ट–II, दिनांक 17.1.1989 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के दृष्टिगत मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल जी, डमटाल के अवधि 1/2013 से 12/2014 के लेखों का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी मन्दिर न्यास के आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में पद पर कार्यरत रहे :–

क्रमांक	नाम व पदनाम	अवधि
1)	श्री सुरिन्द्र शर्मा (मन्दिर अधिकारी)	1.1.13 से 14.5.13
2)	श्री अश्वनी सूद (एस0डी0एम0 नूरपुर)	15.5.13 से 04.1.15

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

क्र0 सं0	विवरण	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1	प्लाटों/दुकानों एवं स्टोन क्रशरों के किराये के रूप में बकाया राशि की वसूली हेतु कार्रवाई न करना	9	29.25
2	निर्माण बिलों से आय–कर व बिक्री कर के रूप मे की गई की कटौती को चालान द्वारा जमा न करना	17	0.18
3	विज्ञापनों पर अनियमित भुगतान करना	18	0.60
4	ठेकेदार से दण्ड शुल्क के रूप में राशि को न वसूलना	24(ख)	0.31

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों के बारे में

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"A"** पर दर्शाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर मन्दिर प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जोकि चिन्ताजनक है। अतः मन्दिर प्रशासन द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से इस विभाग को यथासमय अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निपटारा हो सके।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल जी डमटाल, के अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री मुकेश कुमार स्नेही, (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 13.8.2015 से 4.9.2015 के दौरान मन्दिर परिसर, में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 3/2013, 1/2014 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 8/2013 व 1/2014 चयनित किए गए।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर अधिकारी/प्रभारी मन्दिर न्यास द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना तथा सूचना/अभिलेख प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क

मन्दिर न्यास के अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹19,000/— आंका गया है, जिसे राजकीय कोश मे जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—171009 को भेजने हेतु मन्दिर अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 159 दिनांक 4.9.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। इस राशि को मन्दिर न्यास द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्याः 529720, दिनांक 7.10.2015 के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति

(क) मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल जी डमटाल के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मन्दिर न्यास की अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही

वर्ष	आरम्भिक शेष	पावतियाँ	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्त शेष
2013	10,99,53,059	1,71,17,908	1,13,04,925	13,83,75,892	37,79,810	13,45,96,082
2014	13,45,96,082	66,03,955	1,10,62,691	15,22,62,728	38,04,607	14,84,58,121

दिनांक 31.12.14 को अन्तशेष का विवरण

दिनांक 31.12.14 तक बैंक मे जमा राशि (**परिशिष्ट—"B-1"**)	10,25,367
दिनांक 31.12.14 को सावधि जमा में निवेशित राशि (**परिशिष्ट—"B-2"**)	14,74,37,395
दिनांक 31.12.14 को हस्तगत राशि	1,001
कुल योग	**14,84,63,763**
दिनांक 31.12.14 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	**14,84,58,121**
अन्तर	**5,642**

<u>बैंक समाधान विवरणिका</u>

दिनांक 31.12.14 को रोकड़ बही अुनसार अन्तशेष	14,84,58,121
जमा (+) बैंकों द्वारा दिया गया ब्याज जोकि दिनांक 31.12.14 तक रोकड़ बही में दर्ज न किया (**परिशिष्ट–"C"**)	(+) 9,320
माईनस (–) राशि जो दिनांक 31.12.14 तक बैंक में जमा नहीं की गई (**परिशिष्ट–"C"**)	(–) 3,678
बैंक के बचत खाते/सावधि जमा योजना में जमा राशि + हस्तगत राशि	**14,84,63,763**

(ख) वित्तीय स्थिति व रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि श्री अशोक खन्ना से रसीद संख्याः 1640, दिनांक 8.8.2014 के अंतर्गत किराये की नगद ₹960 तथा श्री हरीश चन्द से रसीद संख्याः 1718, दिनांक 25.12.2014 के अन्तर्गत किराये की नगद ₹2,518 मन्दिर न्यास के कर्मचारियों द्वारा वसूली गई, परन्तु उक्त दोनों राशियाँ मन्दिर निधि में जमा नहीं की गई जोकि एक अति गम्भीर मामला है। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा (₹960 + 2518 = ₹3678) के0सी0सी0 बैंक की शाखा डमटाल के खाता संख्याः 20092019913 में दिनांक 1.9.2015 को जमा कर दी गई, जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः उपरोक्त मामले की विभागीय स्तर पर जाँच भी की जानी सुनिश्चित की जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये।

5 निवेश

दिनांक 31.12.2014 तक मन्दिर न्यास द्वारा ₹14,74,37,395 का निवेश सावधि जमा योजना में किया गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"B-2"** पर दिया गया है

6 सोना एवं चांदी

(क) **सोना** :– मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार सोने की स्थिति निम्न प्रकार से है

विवरण	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त सोना	अन्तशेष
वर्ष 2013	————	29.500 ग्राम	29.500 ग्राम
वर्ष 2014	29.500 ग्राम	———	29.500 ग्राम

(ख) **चांदी :–** मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की चांदी की प्राप्ति मन्दिर न्यास के खातों में नहीं दर्शाई गई है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अन्तशेष के अनुसार मन्दिर न्यास की चांदी की स्थिति निम्न प्रकार से रही

विवरण	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त सोना	अन्तशेष
वर्ष 2013	511 ग्राम	–––	511 ग्राम
वर्ष 2014	511 ग्राम	–––	511 ग्राम

7 रोकड़ बही का रख–रखाव नियमानुसार न किया जाना

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि जब भी रोकड़ बही मे कोई गलती हो जाती है अथवा किसी मद का गलत ईन्द्राज हो जाता है तो सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उसे काट कर एवं ठीक करके मद को पुनः लिखने के स्थान पर गलत ईन्द्राज के उपर ही फ्लूड का प्रयोग करके उसे ठीक कर दिया जाता है जोकि अनुचित प्रक्रिया हे। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही की जाँच में यह भी पाया गया कि माह के अन्त में कोई मासिक विवरण नहीं दिया गया है जिस कारण संस्था की वित्तीय स्थिति की जाँच करने व बैंक से मिलान करने मे अंकेक्षण को अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। रोकड़ बही में पाई गई अनियमितताओं को सहायक आयुक्त मन्दिर न्यास एवं उप–मण्डल अधिकारी (ना0) नूरपुर के ध्यान में चर्चा के दौरान लाया गया तथा उनके द्वारा समस्त अभिलेख ठीक ढंग से तैयार करने का आश्वासन दिया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में जब कभी भी रोकड़ बही मे किसी ईन्द्राज को ठीक करना है तो पुरानी प्रविष्टि को काट कर एवं नई प्रविष्टि को पुनः लिखकर इसे सक्षम अधिकारी से इसे प्रतिहस्ताक्षरित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में प्रत्येक माह में प्राप्त की गई कुल आय तथा माह के दौरान किए गए कुल व्यय का विवरण देने के उपरान्त अन्तशेष का भी विवरण देकर हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व बैंक में जमा राशि का विवरण भी दिया जाए तथा रोकड़ बही के शेष का बैंक से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 रोकड़ बही को सत्यापित न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि दिनांक 30.4.2013 से दिनांक 22.6.2013, दिनांक 14.10.2013 से दिनांक 17.10.2013 तथा दिनांक 2.9.2014 से 31.12.2014 तक की रोकड़ बही को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया जिसके अभाव में आय/व्यय की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः रोकड़ बही को सत्यापित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 प्लाटों/दुकानों एवं स्टोन क्रशरों के किराये के रूप में बकाया ₹29.25 लाख की वसूली हेतु कार्यवाई न करना

दिनांक 31.12.2014 तक निम्न विवरणानुसार विभिन्न किरायेदारों एवं स्टोन क्रशरों से किराये के रूप में ₹29,25,377 वसूली हेतु शेष थी

क्रम संख्या	शीर्ष	31.12.2014 को बकाया राशि	टिप्पणी
1	प्लाटों / दुकानों का किराया	25,52,877	**परिशिष्ट–"D"**
2	स्टोन क्रशर जमीन का किराया	3,72,500	**परिशिष्ट–"E"**
	कुल जोड	**29,25,377**	

दिनांक 31.12.14 तक इतनी अधिक राशि का वसूली योग्य शेष रहना स्वतः ही आपत्ति जनक है। अतः मन्दिर प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र प्रयास किए जाऐं तथा समय पर किराये की वसूली न होने की स्थिति में इसकी वसूली ब्याज सहित की जानी सुनिश्चित की जाए।

10 किरायेदारों के किराये में नियमानुसार बढ़ौतरी न करना

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट–"F"** में दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न किरायदारों को जिस दिनांक से जितना किराया लगाया गया था उतना ही किराया अभी तक वसूल किया जा रहा है अर्थात दिनांक 3.1.1996 से लगभग 19 वर्षों के पश्चात भी पुरानी दरों पर ही किराये की वसूली की जा रही है, जबकि किराया अधिनियम के अनुसार प्रत्येक 5 वर्षों के उपरान्त मूल किराये में वृद्धि की जानी अपेक्षित होती है। अतः किराये मे नियमानुसार बढ़ोतरी न करने के कारण मन्दिर निधि को प्रतिवर्ष वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। इस संदर्भ में यह भी परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार प्रत्येक किरायेदार के किराये की राशि को प्रत्येक पांच वर्ष बाद बढ़ाकर बकाया किराये की राशि की गणना की जाये व तदानुसार ही उनकी वसूली की जाये तथा भविष्य में भी किराये की वसूली नियमों के अनुसार ही बढ़ाकर की जानी सुनिश्चित की जाए।

11 मन्दिर की जमीन के किरायेदारों से किराये की वसूली न करना तथा किरायेदारों से जमीन का कब्जा भी न छुडवाना

परिशिष्ट–"G" में वर्णित विभिन्न व्यक्तियों / फर्मों को मन्दिर न्यास द्वारा मन्दिर की जमीन किराये पर दी गई है, परन्तु इनसे किराया वसूलने की अनुमति आयुक्त मन्दिर महोदय से प्राप्त नहीं की गई है तथा उक्त किरायेदारों से जो किराये की वसूली की भी जा रही थी उसकी वसूली भी बन्द कर दी गई है। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को बताया गया कि किराये पर दी गई जमीन, किरायेदारों के कब्जे में है तथा उनका कार्य / व्यापार सुचारू रूप से चला हुआ है। अतः मन्दिर की जमीन विभिन्न व्यक्तियों / फर्मों के कब्जे में होते हुए भी उनसे न तो जमीन का किराया वसूलना तथा न ही कब्जे को छुडवाना स्वतः ही गम्भीर अनियमितता का मामला है। अतः सुझाव दिया जाता हे कि इन किरायेदारों से किराये की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास स्तर पर आन्तरिक जाँच करके इस प्रकार की समस्त जमीनों का कब्जा छुडवाना सुनिश्चित किया जाए।

12 मन्दिर अधिग्रहण से पूर्व के पट्टेदारों से किरायों/लगान की मांग न करना तथा पट्टा अवधि समाप्त होने पर भी पट्टे का नवीकरण करने अथवा भूमि को अपने कब्जों में लेने हेतु कार्रवाई न करना

(क) **परिशिष्ट–"H(i)"** में वर्णित विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों को मन्दिर की जमीन मन्दिर अधिग्रहण से पूर्व दी गई थी तथा दिनांक 3.1.1996 को मन्दिर के अधिग्रहण के पश्चात उक्त पट्टेदारों से लगान की मांग ही नहीं की गई। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को बताया गया कि उक्त पट्टेदार अधिग्रहण की दिनांक से आज दिनांक तक लगभग 19 वर्षों तक बिना कोई लगान दिए मन्दिर की भूमि पर अपना कार्य/व्यवसाय सुचारू रूप में कर रहे हैं। इस प्रकार पिछले 19 वर्षों से किराये/लगान की मांग न करना स्वतः ही एक गम्भीर अनियमितता है, जिसके फलस्वरूप मन्दिर न्यास को प्रतिवर्ष लाखों रुपयों की वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है। अतः इस प्रकरण में मन्दिर न्यास स्तर पर भी आन्तरिक जाँच करके उचित कार्यवाई अलम में लाते हुए वर्ष 1996 से लगान की वसूली ब्याज सहित की जाये व भविष्य के सन्दर्भ में भी सुझाव दिया जाता है कि उक्त पट्टेदारों से किराये/लगान की वसूली हेतु कोई ठोस नीति बनाई जाये ताकि मन्दिर की आय में वृद्धि की जा सके।

(ख) इसके अतिरिक्त अभिलेख की जाँच में यह भी पाया गया कि **परिशिष्ट–"H(ii)"** मे वर्णित विभिन्न पट्टेधारियों की पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी है, परन्तु यह जमीन अभी भी पट्टेधारियों के कब्जे में है। इनमें से कुछ पट्टेधारियों की पट्टा अवधि तो वर्ष 1992 से समाप्त हो चुकी थी। अतः पट्टा अवधि समाप्त होने पर भी मन्दिर न्यास द्वारा जमीन को अपने कब्जे में न लेना तथा पट्टा अवधि का बाजारी भाव में नवीकरण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इन प्रकरणों में मन्दिर न्यास स्तर पर भी आन्तरिक जाँच करके उचित कार्रवाई अमल में लाते हुए सभी पट्टाधारियों का किराया वर्तमान बाजारी भाव दरों के दृष्टिगत पुनः निर्धारित किया जाए व लीज डीड का नवीकरण किया जाए।

13 गल्ले (अनाज) के रूप में 3224 किलोग्राम अनाज की कम वसूली करना व गल्ले (अनाज) की मात्रा में बढ़ौतरी न करना

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि कुछ व्यक्ति मन्दिर भूमि का प्रयोग कृषि हेतु कर रहे हैं तथा उनसे भूमि के लगान की वसूली गल्ले (अनाज) के रूप में की जाती है, परन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान उनसे 3224 किलोग्राम गल्ले (अनाज) की कम वसूली की गई है, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"I"** पर दिया गया है। अतः निर्धारित गल्ला (अनाज) की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व बकाया गल्ले (अनाज) की वसूली शीघ्र करके इसे मन्दिर के अनाज भण्डार में जमा किया जाए। इसके अतिरिक्त **परिशिष्ट–"I"** में वर्णित विभिन्न कृषकों का जिस वर्ष से जितना गल्ला स्वीकृत किया गया उतना ही गल्ला अभी तक वसूला जा रहा है, अर्थात वर्ष 2001 तथा वर्ष 2002 से लगभग 13 वर्षों से पुरानी दरों के अनुसार गल्ले की वसूली

की जा रही है। इस प्रकार गल्ले में बढ़ौतरी न करने के कारण मन्दिर के अनाज भण्डार में प्रतिवर्ष सैंकड़ो किलोग्राम अनाज की कम प्राप्ति हो रही है। अतः परामर्श दिया जाता है कि कृषकों के गल्ले की मात्रा का पुनः निर्धारण किया जाये ताकि अधिक अनाज की मात्रा प्राप्त की जा सके, जिससे कि मन्दिर लंगर का कार्य भी सुचारू रूप से चल सके।

14 मन्दिर जमीन से प्राप्त आय के बारे

मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार श्री राम गोपाल मन्दिर न्यास के नाम हिमाचल प्रदेश राजस्व रिकॉर्ड में 16870 कनाल व पंजाब राजस्व रिकॉर्ड में 353 कनाल 15 मरले भूमि अर्थात कुल 17223 कनाल 15 मरले भूमि दर्ज है। उपरोक्त जमीन से प्राप्त आय का मन्दिर की समस्त साधनों से प्राप्त कुल आय के साथ तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	जमीन से प्राप्त आय	कुल आय	जमीन से प्राप्त आय प्रतिशत में
2013	1,43,96,590	2,84,22,833	51%
2014	6,75,774	1,76,66,646	4%

उपरोक्त विववरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014 में जमीन से प्राप्त आय का मन्दिर की कुल आय में बहुत कम योगदान है, जिसके कारण स्पष्ट किया जाए तथा यह भी परामर्श दिया जाता है कि भू–साधनों का समुचित दोहन करके मन्दिर की आय को बढ़ाने के ठोस प्रयत्न किए जाएं।

15 खैर के पेड़ों की नीलामी से सम्बन्धित अनियमितताएं

जाँच के दौरान पाया गया कि मन्दिर की जमीन के 1450 खैर के पेड़ों की नीलामी दिनांक 28.3.2013 को की गई व श्री वकील सिंह सपुत्र श्री केसर सिंह से अधिकतम बोली के आधार पर ₹1,36,00,000 की आय अर्जित की गई। उक्त नीलामी प्रक्रिया व अर्जित आय में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :–

(क) नीलामी प्रक्रिया की शर्त नम्बर 1 के अनुसार पात्र उम्मीदवार के पास वन विभाग का लाईसैंस होना अनिवार्य था। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि D.F.O के पत्र संख्याः 6427–51, दिनांक 9.1.2009 द्वारा श्री वकील सिंह का लाईसैंस 413, दिनांक 31.12.2011 तक वैध था। उसके उपरान्त इस लाईसैंस का नवीकरण नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट था कि श्री वकील सिंह उक्त नीलामी हेतु पात्र नहीं थे। अतः बिना पात्रता के उम्मीदवार को पात्र दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) नीलामी प्रक्रिया की शर्त नम्बर 7 के अनुसार योग्य उम्मीदवार द्वारा खैर के पेड़ों के कटान पश्चात एक पेड़ के बदले में तीन पेड़ों को मन्दिर जमीन पर लगाना आवश्यक था अन्यथा तीन पेड़ों को लगाने के बराबर की (1450 x 3 = 4350) मन्दिर निधि में जमा की जानी अनिवार्य थी, परन्तु न तो पात्र उम्मीदवार पेड़ लगाये गए व न ही पेड़ों को लगाने के बराबर की राशि

मन्दिर निधि मे जमा की गई। इस प्रकार पेड़ न लगाने के कारण काटे गए पेड़ों की प्रतिपूर्ति समय पर नहीं हो सकेगी तथा मन्दिर भूमि की वन सम्पदा को बहुत बड़ी हानि उठानी पडेगी।

अतः उक्त आपत्तियों की विभागीय स्तर पर जाँच की जानी सुनिश्चित की जाए तथा उक्त पेड़ों को शीघ्र अतिशीघ्र मन्दिर भूमि पर लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा 4,350 खैरों के पेड़ों को लगाने के मूल्य के बराबर की राशि उचित को स्त्रोत से वसूल कर मन्दिर निधि मे जमा किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

16 संस्थापना पर बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने बारे

परिशिष्ट–"J" के अनुसार मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2013 व 2014 में संस्थापना पर व्यय बजट प्रावधानों से अधिक व्यय किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	शीर्ष	बजट में प्रावधान	व्यय की गई राशि	अन्तर
2013	मन्दिर कर्मचारियों के वेतन व भत्ते	20,00,000	20,76,681	76,681
2014	सरकारी कर्मचारियों के वेतन व भत्ते	60,000	1,70,000	1,10,000
			कुल योग	**1,86,681**

अतः बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अधिक व्यय की गई राशि को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए।

17 निर्माण बिलों से आय–कर व बिक्री कर के रूप में की गई ₹18,541 की कटौती को चालान द्वारा जमा न करना

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निर्माण बिलों से आयकर की ₹9816 तथा बिक्री कर की ₹8725 की कटौती की गई, परन्तु इन राशियों को सम्बन्धित विभागों में जमा नहीं किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 158, दिनांक 1.9.2015 द्वारा सहायक आयुक्त मन्दिर को उक्त बारे अवगत करवाया गया व उनके द्वारा शीघ्र कार्रवाई करते हुए उक्त (₹9816 + ₹8725 = ₹18541) को वसूल करके रसीद संख्याः 1831 दिनांक 1.9.2015 द्वारा जमा करवा दिया गया, जिसकी जमा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई। अतः भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि का न दोहराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त उक्त राशि को मन्दिर निधि से निकाल कर चालान के द्वारा सम्बन्धित विभागों में जमा करना भी सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वाऊचर सं0 / दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	कार्य राशि	आयकर	बिक्रीकर
589 / 3.11.12	Special repair of old office near temple	1,90,347	4,684	4,164
182 / 23.7.13	P/L red stone in temple	53,074	1,194	1,061
201 / 1.8.13	C/o alternative path 1st deodi to babri	1,75,000	3,938	3,500
		कुल योग	**₹9,816**	**₹8,725**

18 विज्ञापनों पर ₹60,000 का अनियमित व्यय करने बारे

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मन्दिर प्रशासन द्वारा वर्ष 2013 मे विज्ञापनों पर ₹60,000 का व्यय हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों व भाषा एवं संस्कृति विभाग के पत्र संख्याः LCD-E(3)-18/2010, दिनांक 26.12.2012 के अन्तर्गत दिए गए दिशा निर्देशों के विपरीत किया गया, जिस कारण उपरोक्त ₹60,000 के व्यय को मन्दिर निधि पर उचित प्रभार नहीं ठहराया जा सकता। विज्ञापनों पर भुगतान की गई राशि का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"K"** पर दिया गया है, जिसमें से उक्त वर्ष में दिनांक 29.5.2013 को Festival में विज्ञापन हेतु किया गया ₹10,000 का व्यय तथा दिनांक 1.8.2013 को Sports meet में विज्ञापन हेतु किया गया ₹50,000 का व्यय भी मन्दिर न्यास निधि पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है। अतः अनियमित रूप में वयय की राशि को सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए व भविष्य में इस सन्दर्भ में अधिनियम के उपबन्धों की पालना करनी सुनिश्चित की जाए।

19. बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किए एयर–कंडीशनर की खरीद पर ₹25,000 व्यय करने बारे

मैं कुलदीप इण्टरप्राइजेज नूरपुर से उनके बिल संख्या 25708, दिनांक 5.6.13 के एवज में एक सैमसंग ए0सी0 व एक Stabliser की खरीद हेतु वाऊचर संख्याः 176, दिनांक 6.7.13 के अन्तर्गत ₹25,000 का भुगतान किया गया।

उक्त खरीद में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :–

(क) अंकेक्षण में उक्त बिल की छाया प्रति प्रस्तुत की गई, जबकि मूल प्रति अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

(ख) उक्त ए0सी0 सैमसंग कम्पनी का है, परन्तु इससे सम्बन्धित अधिकृत रेट लिस्ट अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जबकि बिल पर दर्शाई कम्पनी के नामों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त विक्रेता सैमसंग का अधिकृत डीलर नहीं था। अतः उक्त के अभाव में भुगतान की गई दर की पुश्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी।

(ग) उपरोक्त बिल व वाऊचर सक्षम अधिकारी द्वारा पारित नहीं है, जिसके अभाव में भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उक्त अनियमितताओं बारे औचित्य स्पश्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 निविदाओं को pool करने बारे तथा बिक्रीकर के रूप में ₹2,406 का अनुचित रूप से भुगतान करने बारे

(क) निम्नलिखित बिल/वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि इनके अन्तर्गत क्रय की गई 1 स्टील अलमारी व 3 रेवोल्विंग चेयर से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष नम्बर एक ही है :—

(1)	मैं0 शिव इंटरप्राईजेज नूरपुर	:	97361—80150, 98163—39646
(2)	मैं0 विश्वकर्मा फर्नीचर हाऊस जसूर	:	97361—80150, 98163—39646
(3)	मैं0 धीमान फर्नीचार इंडस्ट्री नूरपुर	:	94180—79547, 94182—49037

उक्त विवरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि निविदाओं को Pool किया गया है, जिसके कारण उक्त खरीद में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने के उपरान्त नियमित करवाया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त जाँच में पाया गया कि उपरोक्त तीनों विक्रेताओं द्वारा निविदाओं में दरें बिक्रीकर के साथ दर्शाई गई थी, जबकि मैं0 शिव इंटरप्राइजेज नूरपुर को बिक्री कर के रूप में ₹2,406 का भुगतान अतिरिक्त रूप में भुगतान किया गया। अतः ₹2,406 की वसूली उचित स्त्रोत से करके इसको मन्दिर निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 कुटेशनों के आधार पर खरीद न करने बारे

मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार एच0पी0एफ0आर0—97 के अनुसार ₹3,000 से अधिक की खरीद कुटेशनों के आधार पर नहीं की गई है, जबकि कुटेशनों के आधार पर खरीद करके बाजारी प्रतियोगिता का लाभ उठाया जा सकता था। अतः उक्त के अभाव में भुगतान की गई दरों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः बिना कुटेशनों के खरीद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर इस अनियमितता को नियमित करवाकर तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

फर्म का नाम	बिल सं0	दिनांक	विवरण	राशि
मैं0 रामगडीया बॉडी रिपेयरिंग वर्क पठानकोट	415	25.3.14	गाडी की रिपेयर	41,275
मैं0 न्यू श्री सिगन्ज़ फैब्रीकेटर पठानकोट	489	2.7.14	3 सीडियां	33,605

22 बिल/वाऊचर को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे

रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि वाऊचर संख्याः 321–A, दिनांक 31.12.13 के अन्तर्गत ₹10,832 का भुगतान किया गया दर्शाया गया है, परन्तु उक्त वाऊचर की आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त वाऊचर संख्याः 321–A, को दर्शाना भी संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि उक्त बिल/वाऊचर को ढूंढकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा अपेक्षित राशि का उचित स्त्रोत से वसूल कर इसे मन्दिर निधि मे जमा किया जाए।

23 यात्रा भत्ता के रूप में ₹700 का अधिक भुगतान करना तथा यात्रा भत्ते से सम्बन्धित भुगतानों को चैक रजिस्टर में दर्ज न करना

(क) वाऊचर संख्याः 186, माह 8/13 की जाँच करने पर पाया गया कि श्री राजेन्द्र सिंह, चालक को उनके माह 6/13 के यात्रा भत्ता दावा के लिए ₹1,493 का भुगतान किया गया है, जबकि अंकेक्षण उनका यात्रा भत्ता दावा केवल ₹793 का ही बनता था। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर सम्बन्धित कर्मचारी से रसीद संख्याः 1830, दिनांक 1.9.2015 के अन्तर्गत ₹700 की वसूली करके मन्दिर निधि मे जमा कर दी गई है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः भविष्य में यात्रा भत्तों दावा का भुगतान नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त चयनित महीनों के भुगतान वाऊचरों की जाँच में पाया गया कि मन्दिर प्रशासन द्वारा मन्दिर कर्मचारियों को समय–समय पर यात्रा भत्ता दावों का भुगतानों को टी0ए0 चैक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है। उदाहरणतः मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार यात्रा भत्ता दावा बिलों का भुगतान किया गया, जिसे टी0ए0 चैक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया जिस कारण दोहरे भुगतान की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता।

अतः संस्था स्तर पर जाँच करके इस तरह के समस्त भुगतानों को टी0ए0 चैक रजिस्टर में दर्ज किया जाए ताकि दोहरे भुगतानों की सम्भावना से बचा जा सके तथा भविष्य में भी अभिलेख का रख–रखाव नियमानुसार किया जाए।

कर्मचारी का नाम	वाऊचर संख्या	माह	अवधि	राशि
श्री राजेन्द्र कुमार (चालक)	186	8/13	1.6.13 से 30.6.13	1,493
श्री राजेश कुमार (लिपिक)	186	8/13	1.6.13 से 30.6.13	1,758
श्री राजेश कुमार (लिपिक)	207	8/13	1.7.13 से 31.7.13	1,438

24	निर्माण कार्य का नाम	:	C/o Alteration path from 1st Deodi to Babri
	ठेकेदार का नाम	:	श्री विश्वेश्वर पठानिया
	अवार्ड संख्या	:	1575, दिनांक 20.6.13
	कार्य आरम्भ	:	4.7.13
	समय अवधि	:	तीन माह
	टैण्डर राशि	:	₹3,09,989

(क) उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका नम्बर 47 के पेज 20 की जाँच करने पर पाया गया कि मद संख्याः 3 ''P/L C.C. 1:6:12 in foundation'' की कुल मात्रा की गणना 23.27 मीः बनती है, जिसका ₹1850 की दर से ₹43,049.50 भुगतान करना अपेक्षित था, जबकि मन्दिर न्यास द्वारा ₹43,290 भुगतान किया गया। इस प्रकार ₹241 का अधिक भुगतान किया गया। अंकेक्षण द्वारा आपति उठाने पर अधिक भुगतान की गई उक्त राशि रसीद संख्याः 1828, दिनांक 27.8.2015 के अन्तर्गत वसूल करके मन्दिर निधि में जमा कर दी गई है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

(ख) ठेकेदार से दण्ड शुल्क के रूप में ₹30,999 को न वसूलना

उक्त निर्माण कार्य की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य को ठेकेदार द्वारा दिनांक 4.10.2013 को समाप्त करना था, जो कि नहीं किया गया। तत्पश्चात दिनांक 13.11.2013 को सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त निर्माण कार्य को दो महीने में समाप्त करने हेतु समयावधि को बढाया गया, परन्तु फिर भी उक्त ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य को समाप्त नहीं किया गया। सहायक आयुक्त मन्दिर एवं एस0डी0एम0 नूरपुर के रजिस्टर्ड पत्र संख्याः 48 दिनांक 24.1.2014 द्वारा ठेकेदार को उक्त निर्माण कार्य समाप्त करने हेतु पुनः सख्त निर्देश दिए गए, परन्तु ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य समाप्त नही किया गया। इस प्रकार अवार्ड पत्र की शर्त संख्याः 12 के अनुसार अगर ठेकेदार कार्य को पूर्ण नहीं करता है तो टैण्डर की राशि यानि ₹3,09,989 का 10% अर्थात ₹30,999 की दण्ड शुल्क के रूप में ठेकेदार से वसूल करनी अपेक्षित थी, जबकि इसके विपरीत मन्दिर प्रशासन द्वारा ठेकेदार को कार्य की पूर्ण ₹1,99,036 का भुगतान वाऊचर संख्याः 217, दिनांक 30.8.2014 द्वारा कर दिया गया, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ठेकेदार को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया गया है। अतः उपरोक्त दण्ड शुल्क की ₹30,999 की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

25 सेवा पुस्तिकाओं को पूर्ण करके सक्षम अधिकारी से सत्यापित न करवाना

सेवा पुस्तिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की अधिकतर सेवा पुस्तिकाएं पूर्ण नहीं की गई हैं और न ही सक्षम अधिकारी से सत्यापित नहीं की गई है जिसके अभाव में सेवा पुस्तिकाओं की पूर्ण जाँच नही की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 आर0टी0आई0 आवेदन से प्राप्त आय को जमा न करना

आय की जाँच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में आर0टी0आई0 आवेदनों से प्राप्त आय की राशि शून्य थी, जबकि मन्दिर कार्यालय में इससे सम्बन्धित आवेदन प्राप्त हुए थे। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 153, दिनांक 26.8.15 द्वारा मन्दिर अधिकारी को अवगत करवाया, परन्तु मन्दिर प्रशासन द्वारा इसका कोई उतर नहीं दिया गया। अतः उक्त मामले की विभागीय जाँच करते हुए ऐसे आवेदनों से प्राप्त आय को मन्दिर निधि मे न जमा करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए उचित कार्रवाई करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 कोर्ट केस का रजिस्टर न लगाना

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित राशियों का भुगतान वकीलों को कोर्ट केस हेतु किया गया, परन्तु इन भुगतानों को कोर्ट केस रजिस्टर मे दर्ज नहीं किया गया, जिसके अभाव में यह पता लगाना सम्भव नहीं था कि अमुक भुगतान किस कोर्ट केस से सम्बन्धित है। अतः संस्था स्तर पर जाँच करके इस तरह के समस्त भुगतानों को कोर्ट केस रजिस्टर में दर्ज किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि अमुक भुगतान किस कोर्ट केस से समबन्धित है।

वाऊचर संख्या	दिनांक	वकील का नाम	राशि
17	19.1.13	श्री एम0एस0 जम्बाल	30,500
118	25.4.13	श्री अजय पठानिया	11,650

28 गाड़ी नम्बर एच0पी0 40ए–0055 की औसत तेल खपत का निर्धारण न करना तथा वहीकल चार्जिज की वसूली न करना

(क) गाड़ी नम्बर एच0पी0–40ए–0055 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त गाड़ी की औसत तेल खपत का निर्धारण किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं करवाया गया था, यद्यपि गाड़ी की औसत तेल खपत लगभग 7.15 कि0मी0 / लीटर दर्शाई गई थी, परन्तु सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से गाड़ी की औसत तेल खपत का निर्धारण न करवाना अनियमित है। अतः उक्त की औसत तेल खपत का निर्धारण किसी मान्यता प्राप्त संस्था से करवाया जाए तथा यदि संस्था द्वारा निर्धारित औसत खपत वर्तमान में दर्शाई गई औसत तेल खपत 7.15 कि0मी0 / लीटर से अधिक हो तो तदानुसार अधिक खपत किए गए डीजल की वसूली उचित स्त्रोत से करके इसे मन्दिर निधि मे जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के कार्यालय आदेश संख्याः ए0डी0एम0 / कांगड़ा–1307–1317, दिनांक 2.11.10 के अनुसार जिन मन्दिर अधिकारी / प्रभारी के अधीन (Attached) कार्यालय की गाड़ी है उनके द्वारा कम से कम ₹300 प्रति माह की fixed दर से व्हीकल (Attached Vehicle) चार्जिज जमा करवाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा व्हीकल चार्जिज मन्दिर निधि मे जमा नहीं करवाए। अतः व्हीकल चार्जिज की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षणाधीन अवधि हेतु (24 x 300 = ₹7200) की वसूली उचित स्त्रोत / तत्कालीन अधिकारियों से की जानी सुनिश्चित की जाये व भविष्य में भी नियमानुसार व्हीकल चार्जिज की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

29 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाना

अंकेक्षण अवधि के दौरान भण्डार में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन मन्दिर प्रशासन द्वारा नहीं करवाया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 15.17 के अनुसार प्रत्येक वर्ष भण्डार में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित है। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

30. लघु आपत्ति विवरणिका :– यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

31. निष्कर्ष :– मन्दिर न्यास की रोकड़ बही व अन्य लेखों का भी रख–रखाव अत्यन्त दोषपूर्ण है जिसमें अत्याधिक सुधार एवं कडे निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)202/99–खण्ड–3–1882–1885, दिनांकः17.02.2016 शिमला–09

प्रतिलपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत
1. मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल मन्दिर डमटाल, तह0 नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
3. निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–09
4. अवर सचिव (भाषा एवं संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–09

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

परिशिष्ट–"A"

पैरा संख्या 1(घ)

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 12.3.1996 से 31.12.1998

क्र0 सं0	**पैरा सं0**	**निर्णीत अनिर्णीत**	
1	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा 9	अनिर्णीत	
3	पैरा 12	अनिर्णीत	
4	पैरा 13	अनिर्णीत	
5	पैरा 20	अनिर्णीत	
6	पैरा 21	अनिर्णीत	
7	पैरा 24	अनिर्णीत	
(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2000 से 12/2000			
1	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत	
(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2001 से 12/2002			
1	पैरा 9	अनिर्णीत	
2	पैरा 10	अनिर्णीत	
(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2003 से 12/2004			
1	पैरा 6	अनिर्णीत	
(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2005 से 12/2008			
1	पैरा 9	अनिर्णीत	
2	पैरा 10	अनिर्णीत	
(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2009 से 12/2010			
1	पैरा 9	अनिर्णीत	
2	पैरा 10	अनिर्णीत	
3	पैरा 11	अनिर्णीत	
4	पैरा 12	अनिर्णीत	
5	पैरा 13	अनिर्णीत	
6	पैरा 14	अनिर्णीत	
(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2011 से 12/2012			
1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क)
2	पैरा 4	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 5(क),(ख)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
4	पैरा 6(क)	निर्णीत	यथोपरि
5	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा 7	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
7	पैरा 8(क),(ख)	निर्णीत	(क) (रसीद संख्याः 1519, दिनांक 23.12.2013 द्वारा वसूली कर ली गई) (ख) (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

7.	पैरा 9	निर्णीत	यथोपरि
8.	पैरा 10(क),(ख)	निर्णीत	यथोपरि
9.	पैरा 11	निर्णीत	यथोपरि
10.	पैरा 12	अनिर्णीत	
11.	पैरा 13	अनिर्णीत	
12.	पैरा 14	अनिर्णीत	
13.	पैरा 15	अनिर्णीत	
14.	पैरा 16	अनिर्णीत	
15.	पैरा 17	अनिर्णीत	
16.	पैरा 18(क)(ख)(ग)	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
17.	पैरा 19(क)	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
18.	पैरा 19(ख)	अनिर्णीत	
19.	पैरा 20	अनिर्णीत	
20.	पैरा 21(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत	
21.	पैरा 22(क)(ख)	अनिर्णीत	
22.	पैरा 23	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	40
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	(+) 27
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	(–) 11
अन्तशेष (अंकेक्षण अवधि 1/2013 से 12/2014 तक)	56